डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581] भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2004—पौष 8, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्र. 7287-394-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००४.

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

४. सार्वजनिक नालियों, मलनालियों आदि में जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध.

५. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये कूड़ादान रखना और स्थानों की व्यवस्था करना.

६. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों तथा अधिभोगियों का कर्त्तव्य.

७. जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा हटाने की स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति.

८. अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन में सहायता.

९. शास्तियां.

१०. कम्पनियों द्वारा अपराध.

११. सरकारी विभागों द्वारा अपराध.

१२. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

१३. अपराधों का संज्ञान.

१४. अपराधों का प्रशमन.

१५. मामलों का संक्षिप्त निपटारा.

१६. अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१७. राज्य सरकार द्वारा निदेश.

१८. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

१९. नियम बनाने की शक्ति.

२०. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२१. अधिनियम का अन्य विधियों को अल्पीकरण न करना

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००४.

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४.

[दिनांक २४ दिसम्बर, २००४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक २९ दिसम्बर, २००४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में जैव अनाश्य उत्पादों के प्रबंध और उपयोग को विनियमित करने और सार्वजनिक नालियों, सड़कों और जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थानों में या पर जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने या जमा करने को निवारित करने और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जैव नाश्य कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है जीवित जीवों की क्रिया द्वारा नाश्य किए जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का सं. ६) की धारा ४ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ग) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है व्यक्तियों का कोई निकाय जिसे किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर मामलों का नियंत्रण और प्रशासन तत्समय विधि द्वारा विनिहित किया गया है और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन या उसके द्वारा गठित कोई नगरपालिक निगम;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन या उसके द्वारा गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत;

(तीन) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत;

(घ) "बाजार" के अन्तर्गत, इस बात के होते हुये भी कि क्रेताओं और विक्रेताओं के जमाव के लिये कोई सामान्य विनियम नहीं हैं और स्थान के स्वामी या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा बाजार के कारवार या बाजार में बार-बार आने वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है, या नहीं, कोई ऐसा स्थान है, जहां ऐसे स्थान के स्वामी की सम्मति सहित या रहित, व्यक्ति, मानव उपयोग अथवा उपभोग के लिये वस्तुओं के विक्रय के लिये रखने के लिये एकत्र होते हैं;

(ङ) "जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा" से अभिप्रेत है ऐसा कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री जो जैव नाश्य नहीं है और पोलीथाइलिन, नाइलान और प्लास्टिक की अन्य सामग्री के पदार्थ जैसे पॉली विनायल

क्लोराईड, पालीप्रोप्लीन, पालिस्टाइलिन और उसके ऐसे रूपभेद जो जीवित जीवों की क्रिया द्वारा नाश्य किए जाने योग्य नहीं हैं और जो इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्टतः सम्मिलित हैं;

(च) "अधिभोगी" के अन्तर्गत सम्मिलित हैं;—

(एक) कोई व्यक्ति, जो स्वामी को तत्समय उस भूमि या भवन के भाटक या भाटक का कोई भाग संदत्त कर रहा है या संदत्त करने का दायी है, जिसकी बाबत् ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है;

(दो) वह स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोग कर रहा है या अन्यथा उसका उपयोग करता है;

(तीन) किसी भूमि या भवन का भाटक मुक्त अभिधारी या अनुज्ञप्तिधारी; और

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और अधिभोग के लिये उसके स्वामी को नुकसानी या क्षतिपूर्ति संदत्त करने का दायी है;

(छ) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय किसी भूमि या भवन का भाटक चाहे अपने वास्ते या अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रसुविधा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है या जो, यदि भूमि या भवन या उसका भाग किसी अभिधारी को किराये पर दे दिया होता, तो उसका भाटक प्राप्त करता या भाटक प्राप्त करने के लिये हकदार होता और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो अभिधारी न हो, और जो समय-समय पर स्वामी के रूप में हक व्युत्पन्न करता हो;

(ज) "स्थान" से कोई भूमि या भवन अथवा भवन का भाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हैं किसी भवन या स्थान के भाग से अनुलग्न उद्यान, जमीन और उपगृह यदि कोई हो, तथा इसके प्रकोष्ठ और सामान्य क्षेत्र और किसी भवन में उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाएं भी सम्मिलित हैं;

(झ) "जनता को दृष्टिगोचर खुले स्थान" के अन्तर्गत कोई प्राइवेट स्थान या भवन, स्मारक, बाड़ या छज्जा है, जो किसी सार्वजनिक स्थान में या उससे होकर गुजरने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई देता हो;

(ञ) "लोक विश्लेषक" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावर्णिक प्रयोगशाला के संबंध में सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त या मान्यता प्राप्त व्यक्ति;

(ट) "सार्वजकि स्थान" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई स्थान जो सर्व-साधारण के उपयोग और उपभोग के लिये खुला है चाहे उसका सर्वसाधारण द्वारा वास्तव में उपयोग या उपभोग किया जाता है या नहीं और इसके अन्तर्गत सड़क, मार्ग, बाजार, उद्यान, सफाई-गली या रास्ता है, चाहे वह आम रास्ता है या नहीं और उतरने का स्थान जहां सर्वसाधारण की पहुंच है या आने-जाने का अधिकार है अथवा जिस पर उन्हें जाने का अधिकार है.

थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध.

३. कोई भी व्यक्ति मानव उपयोग या उपभोग के लिए वस्तुओं के भण्डारण, वहन, पेकिंग, और विक्रय के लिये प्लास्टिक से बनी थैलियों या पात्रों का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि पुनः चक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों की मोटाई २५ माइक्रोन से कम न हो और विरजिन प्लास्टिक की दशा में २० माइक्रोन से कम न हो.

सार्वजनिक नालियों, मलनालियों आदि में जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा फेंकने का प्रतिषेध.

४. कोई भी व्यक्ति, स्वयं या अन्य के माध्यम से जानबूझकर या अन्यथा किसी प्राइवेट या सार्वजनिक जल निकास संकर्मों से संबंधित किसी नाली, संवातन, नाल, पाइप और फिटिंग में किसी नदी, जलसरणी (चाहे प्रवाहित हो या तत्समय सूखी हो) उद्यान या किसी सार्वजनिक स्थान या जनता को दृष्टिगोचर खुले किसी स्थान में कोई जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा या जैव अनाश्य थैले या पात्र में कोई जैव नाश्य कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या फिकवाएगा :

परन्तु कोई जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा या कोई जैव नाश्य कूड़ा-कचरा, किसी जैव अनाश्य थैले या किसी पात्र में रखा जा सकेगा या कूड़ा दान में रखने के लिये अनुज्ञप्त किया जा सकेगा और किसी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कूड़े-कचरे के व्ययन के लिये अभिहित स्थान में जमा किया जा सकेगा.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये कूड़ादान रखने और स्थानों की व्यवस्था करना.

५. स्थानीय प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह--

(क) जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को अस्थायी तौर पर जमा करने या उसका संग्रहण करने के लिये उचित और सुविधाजनक अवस्थिति में डलवाएं या उसके लिये पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक कूड़ेदान या संग्रह स्थानों (डिपो) या स्थानों की व्यवस्था करें, जो जैव नाश्य कूड़ा-कचरा जमा करने के लिये रखे और संधारित किए जा रहे स्थानों से भिन्न है;

(ख) कूड़ादानों, संग्रह स्थानों (डिपो) तथा कूड़ा स्थानों की अंतर्वस्तु को हटाने की व्यवस्था करे और इस धारा के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा उपलब्ध या नियत किए गए समस्त स्थानों पर उसका संचयन करने की व्यवस्था करे; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन संगृहीत जैव अनाश्य कूड़े-कचरे के व्ययन के लिये ऐसी रीति में, जैसा कि विहित की जाए, व्यवस्था करे.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा आदि संगृहीत और जमा करने का स्वामियों तथा अधिभोगियों का कर्तव्य.

६. समस्त भूमि और भवनों के अधिभोगियों (जिसमें किसी भवन के प्रकोष्ठ का व्यक्तिगत अधिभोग सम्मिलित है) का यह कर्तव्य होगा कि—

(एक) वे अपनी-अपनी भूमि और भवनों से समस्त जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को संगृहीत करें या करवाएं और उसे सार्वजनिक कूड़ादानों, संग्रह स्थानों (डिपो) या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में जैव अनाश्य कूड़े-कचरे को अस्थायी रूप में जमा करने या संगृहीत करने के लिए उपलब्ध कराये गए स्थानों में जमा करें या जमा कराएं;

(दो) वे जैव नाश्य कूड़े-कचरे को जमा करने के लिए रखी गई और अनुरक्षित से भिन्न ऐसी भूमि या भवन से समस्त जैव अनाश्य कूड़े-कचरे का उसमें संग्रहण करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण या उसके अधिकारियों द्वारा विहित प्रकार से और विहित रीति में पृथक् कूड़ादानों या कचरा पेटियों की व्यवस्था करें और ऐसे कूड़ेदानों या कचरा पेटियों को अच्छी दशा और अवस्था में रखें.

जैव अनाश्य कूड़ा-कचरा हटाने की स्थानीय प्राधिकरण की शक्ति.

७. स्थानीय प्राधिकरण, लिखित में सूचना द्वारा, किसी ऐसी भूमि या भवन के जो जैव अनाश्य कूड़े-कचरे का अनाधिकृत ढेर लगाने या जमा करने का स्थान बन गया है, और जिसके न्यूसेन्स का कारण बनने की संभावना है, स्वामी या अधिभोगी अथवा सह-स्वामी से अथवा उसका स्वामी या सह-स्वामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से, इस प्रकार ढेर लगाए गए या संगृहीत उक्त कूड़े-कचरे को हटाने या हटवाने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, उसकी राय में, जैव अनाश्य कूड़े-कचरे के अपशिष्ट के ऐसे ढेर या संग्रहण से जलनिकास और मल वहन प्रणाली को क्षति होने की संभावना है या उसके जीवन तथा स्वास्थ्य के लिये खतरनाक होने की संभावना है, तो वह तुरन्त ऐसे व्यक्ति के खर्चे पर ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे.

अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में सहायता.

८. (१) किसी ऐसे स्थान का स्वामी और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो वहां पाया जाए, जिसके संबंध में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सशक्त कोई व्यक्ति, अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों को कार्यान्वित कर रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को शक्तियों के प्रयोग तथा उन कर्तव्यों को कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए समस्त युक्तियुक्त सहायता देगा और ऐसे व्यक्ति अपेक्षित समस्त सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे.

(२) पुलिस के समस्त अधिकारी जब स्थानीय प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षा की जाए, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण को रोकने में सहायता देंगे.

(३) स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों के निर्वहन में असफल होने पर जुर्माने से, दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा.

शास्तियाँ.

९. (१) जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गए किसी नियम, जारी की गई अधिसूचना या दिए गए आदेश के उल्लंघन में किसी कार्य या साशय लोप का दोषी है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा.

(२) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किए जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध किया जाता है तो वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी और / या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(३) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी रीति में अपराध करने में सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है या सहायक है तो वह उस अपराध के लिये विहित शास्ति से दण्डनीय होगा.

(४) जो कोई जानबूझकर, इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा विधिपूर्वक दिये गये किसी निदेश की अवज्ञा करता है या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को किसी कृत्य के निर्वहन में जिसके लिये ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त हो, बाधा पहुंचाता है, और यदि ऐसे अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न हो तो ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(५) जब कोई इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी जानकारी को प्रदाय करने के लिये अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी को विधारित करता है या ऐसी जानकारी देता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और यदि ऐसे अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबंधित न हो तो ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

कम्पनियों द्वारा अपराध.

१०. (१) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उस कम्पनी का भारसाधक था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या यह कि उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का दायी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों की अन्य संथा आती है; और

(ख) किसी कम्पनी के संबंध में "निदेशक" में सम्मिलित है कोई व्यक्ति जो निदेशक के पद का अधिभोग कर रहा हो, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए.

सरकारी विभागों द्वारा अपराध.

११. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा कारित किया गया है वहां कार्यालय प्रमुख अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे कार्यालय प्रमुख को किसी दण्ड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कार्यालय प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से घोर उपेक्षा के कारण किया गया है तो ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने का दायी होगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण.

१२. राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या ऐसे प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी की किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किये गए आदेशों या निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका इस प्रकार किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

अपराधों का संज्ञान.

१३. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारी सम्मिलित हैं द्वारा की गई किसी शिकायत से सिवाय नहीं करेगा.

अपराधों का प्रशमन.

१४. (१) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित होने के पूर्व या पश्चात् ऐसी रकम के संदाय पर ऐसे अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे.

(२) जहां कोई अपराध उपधारा (१) के अधीन प्रशमित किया गया है, यदि अपराधी अभिरक्षा में हो तो, उसे उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी.

मामलों का संक्षिप्त निपटारा.

१५. (१) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को तामील किए जाने वाले समन पर यह कथन करेगा कि वह—

(क) अभिवक्ता द्वारा या स्वयं उपसंजात हो; या

(ख) विनिर्दिष्ट तारीख को आरोप की सुनवाई के पूर्व आरोप का दोषी होने का अभिवचन करें और न्यायालय को मनीआर्डर द्वारा ऐसी राशि (जो ऐसे अधिकतम जुर्माने से अधिक नहीं होगी जो कि अपराध के लिये अधिरोपित की जाए) जैसी न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करे तथा मनीआर्डर कूपन में ही दोषी होने का अभिवचन उपदर्शित करे.

(२) जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है और विनिर्दिष्ट राशि विप्रेषित कर देता है, तो उसके विरुद्ध उस अपराध की बाबत् और कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी, न ही वह उसके द्वारा दोषी होने का अभिवचन करने के कारण किसी अन्य का दायी होगा.

अधिकारियों में कतिपय शक्तियां विनिहित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

१६. राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी में निम्नलिखित शक्तियों में से समस्त या किन्हीं शक्तियों को विनिहित कर सकेगी—

(क) किसी भूमि या भवन में प्रवेश करने की शक्ति;

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जांच करने और ऐसी जांच के अनुक्रम में साक्ष्य प्राप्त करने और साक्ष्य अभिलिखित करने की शक्ति.

राज्य सरकार द्वारा निदेश.

१७. स्थानीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिये ऐसे निदेश का, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे जारी किए जाएं, क्रियान्वयन करेगा.

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

१८. (१) जब ऐसा करना समीचीन हो, राज्य सरकार, लोकहित में और बोर्ड के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी मद को जोड़ सकेगी या उसमें से हटा सकेगी और तत्पश्चात् अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१९. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखें जाएंगे.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

२०. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

अधिनियम का अन्य विधियों को अल्पीकरण न करना.

२१. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे.

अनुसूची

[धारा २(ङ) देखिए]

जैव अनाश्य स्वरूप के पदार्थ.

१. पोलीईथीलिन.
२. पोलीकार्बोनेट.
३. पोलीप्रोपलिन (पी.पी.).
४. पोलिस्टीन.
५. पोलिविनाइल क्लोराइड (पी.व्ही.सी.).
६. ए.बी.एस.
७. एसीटाल.
८. एक्रिलिक.
९. सेल्युलोज एसीटेट.
१०. सेल्युलोज एक्यूट ब्यूट्रेट.
११. नाइलोन.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2004

क्र. 7288-394-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.